संरक्षा विभाग के बारे में

संरक्षा विभाग के कार्य

- संरक्षा संबंधी मुद्दों पर सभी संबंधितों को संवेदनशील/ जागरूक बनाना
- सभी संरक्षा संबंधी मामलों की निगरानी
- संरक्षा संबंधी संवेदनशील और कमजोर क्षेत्र की पहचान करना
- अप्रिय घटनाओं से उत्पन्न स्थितियों से निपटने के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित करना
- संबंधित विभागों को सक्षम बनाने का कार्य

संरक्षा विभाग द्वारा निम्नलिखित गतिविधियाँ की जाती हैं

- सामान्य और औचक निरीक्षणों के साथ-साथ सुपर-चेक के माध्यम से सभी स्तरों पर रेल कर्मचारियों की संरक्षा जागरूकता का परीक्षण करना ।
- इसमें नियमों की उपलब्धता और पर्याप्तता की जांच भी शामिल है ट्रेन संचालन में संरक्षा सुनिश्चित करने और विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों द्वारा उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाएं।
- दुर्घटनाओं की सूचना देना, दुर्घटना की जांच करना, ऐसी स्थितियों के कारणों का विश्लेषण करना और सुधारात्मक कार्रवाई की सिफारिश करना ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।
- रेलवे पर अप्रिय घटनाओं के लिए प्रभावी प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए आपदा प्रबंधन तंत्र की निगरानी और आपदा प्रबंधन गतिविधियों में राज्य सरकार और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करना।
- रेलवे परिसर, ट्रेन संचालन और समपार गेटों पर संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जनता में जागरूकता पैदा करना।
- कर्मचारियों के बीच संरक्षाक्षा जागरूकता पैदा करने के लिए समय समय पर चेतावनी , संदर्भ विशिष्ट निर्देश, संरक्षा परिपत्र, संयुक्त सभी संबंधितों को केआर पर दुर्घटनाओं पर सलाह के साथ भारतीय रेल पर दुर्घटनाओं के प्रक्रिया आदेश और सार। साथ ही उन कर्मचारियों को प्रेरित करना जिन्होंने रेलवे पर दुर्घटना या अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशंसा के माध्यम से काम किया है।
- रेल दुर्घटनाओं की जांच के परिणामस्वरूप रेलवे संरक्षा समीक्षा समिति, आपदा प्रबंधन पर उच्च स्तरीय समिति और रेलवे संरक्षा आयुक्तों द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना ।

अंतिम अद्यतन - 01.04.2025